

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 113/2017

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1. वनीदेवी पुत्री रूपसिंह		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी
2. घीसासिंह पुत्र रूपसिंह जातिगण रावत निसीगण खाखरा का ओडा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री किशोरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 27/3/18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 16/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का जोजावर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपीलाण्ट्स के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खाखरा का ओडा के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.75 बीघा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। समस्त अपीलाण्ट्स के नाम संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को व्यक्तिशः नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुरानी पत्रावली, खसरा दावरी, खसरा परिवर्तनशील आदि की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा न ही



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे अपीलाण्ट्स का कब्जा साबित होता हो। आज भी मौके पर अपीलाण्ट का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है। मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खाखरा का ओडा के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.75 बीघा गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खाखरा का ओडा के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.75 बीघा गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का जोजावर द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट्स द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 26.12.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट वनीदेवी से तामील करवाया गया, जो अपीलाण्ट संख्या 1 है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 के परिवार के व्यस्क सदस्य होने के कारण सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का जोजावर के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसमें गवाह ने उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कथन किये। उक्त साक्ष्य का अपीलाण्ट्स द्वारा किसी भी रूप में पुनःपरीक्षण नहीं किया है। अपीलाण्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका जैर अपील वादस्थ भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का न तो समय चाहा गया तथा न ही कोई सीमांकन आदि की कार्यवाही की, जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि वास्तविक रूप से अपीलाण्ट्स जैर अपील



राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

वादस्थ भूमि पर काबिज थे, किन्तु अपीलाण्ट्स द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की, जो प्रकरण में उनकी स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 16/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



27/3
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली